

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**थाना- मेहनगर**

**मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य गिरफ्तार, तीन किलो ग्रा० अवैध गांजा बरामद, गैंगेस्टर एक्ट सहित कई मुकदमें दर्ज।**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस आधिकारिक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र०नि० सुनील चन्द्र तिवारी के निर्देशन उ०नि० पंकज सिंह यादव मय हमराह हे०का० देवेन्द्र राय , हे०का० अशोक सिंह के क्षेत्र में मामू थे कि जरिये मुखबीर खास के सूचना मिली की एक व्यक्ति झोले में गांजा लेकर आ रहा है जो जगदीशपुर होता हुआ वीरपुर की तरफ जाएगा इस सूचना पर विश्वास करके मुखबीर को साथ लेकर जगदीशपुर मोड़ पर झाड़ियों की आड़ लेकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में प्लास्टिक का झोला लिए आता दिखाई दिया मुखबिर आने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करके चला गया जैसे ही यह व्यक्ति जगदीशपुर मोड़ पर पहुंचा हम पुलिस वाले रोकेव टोके तो एकदम से पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया लेकिन बिना मौका दिए मोड़ पर ही घेर कर समय 06:30 बजे पकड़ लिया गया।

**गिरफ्तारी की विवरण-** दिनांक 16.04.2021 समय 06.30 बजे ,स्थान जगदीशपुर मोड़ पर

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त सोहन पासी पुत्र प्रसिद्ध पासवान उपरोक्त से उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ की गयी तो अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए सफाई जरिये अधिवक्ता मा० न्यायालय देना बता रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु०अ०सं० 63/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना मेहनगर , आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-**

- मु०अ०सं० 63/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना मेहनगर
- मु०अ०सं० 388/06 धारा 216ए/118 भा०द०वि० थाना मेहनगर
- मु०अ०सं० 20/14 धारा 147/148/149/302/307/506/120बी भा०द०वि० थाना तरवां
- मु०अ०सं० 160/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1- सोहन पासी पुत्र प्रसिद्ध पासवान सा० बीरपुर थाना मेहनगर आजमगढ़

**बरामदगी-** 03 किग्रा गांजा नाजायज

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- उ०नि० पंकज सिंह यादव , हे०का० देवेन्द्र राय , हे०का० अशोक सिंह, थाना मेहनगर आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तगण किसी गैंग का सदस्य है तो उसका विवरण -** अभियुक्त मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है थाना तरवां के मु०अ०सं० 160/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में अभी हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है।

**नोट-** अभियुक्त सोहन पासी उपरोक्त की पत्नी मुनिया देवी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु सेक्टर रासेपुर से चुनाव लड़ रही है।